पत्र सं0-वि0अनु0शा0 -आई0टी0सी0 सत्यापन -2013-14 / 778/ 1314036/31-7-2013 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(विअनु0शा0 अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ :: दिनांक 30 , जुलाई,2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

आप सभी भिज्ञ हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट वैट कर प्रणाली की धुरी (Pivot) है । इस प्रकार के तथ्य प्रकाश में आए हैं कि व्यापारियों द्वारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे किए जा रहे हैं उनका समुचित परीक्षण तथा विश्लेषण नहीं किया जा रहा है । पूर्व में परिपत्र सं0 ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)/मु./स.प./2009-10/1593/वाणिज्य कर दिनांक 18 सितम्बर,2009 द्वारा एनेक्सजर -ए से व्यापारी द्वारा की गयी खरीद के बिलों की रसीद के अंतिम नम्बर के चयन के आधार पर रेंडम रूप से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों के परीक्षण हेतु कार्यवाही के निर्देश दिए गए , उसके आशातीत परिणाम नहीं निकले । इस पद्धति में बिलों के सत्यापन के उपरान्त कार्यवाही में बहुत समय लगता था क्योंकि कार्यवाही दो स्तरों पर की जाती थी ।कर निर्धारण अधिकारी बिक्री के बिलो की सूचनायें यदि क्रेताओं के संबंधित कर निर्धारण अधिकारियों को प्रेषित करें तो जाँच कार्यवाही तथा निर्णय लेने की कार्यवाही एक ही स्तर पर होगी । इससे संबंधित प्रकरण में कार्यवाही में समय भी कम लगेगा तथा यह कार्यवाही अधिक प्रभावी तथा Practical होगी । इसी के दृष्टिगत विगत निर्देशों को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए अग्रेत्तर इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों के सत्यापन हेतु निम्न निर्देश निर्गत किए जाते हैं -

(अ) रु0 50 लाख तक की वार्षिक टर्नोवर वाले व्यापारियों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों के सत्यापन के संबंध में : :

1- रु0 पचास लाख तक की वार्षिक टर्नोवर वाले व्यापारियों द्वारा मैनुअल रिटर्न दाखिल किया जाता है । प्रत्येक माह में प्राप्त रिटर्न के एनैक्सजर-बी से रु0 1 लाख से अधिक के बिलों की सूची कर निर्धारण स्तर से प्रत्येक व्यापारीवार बनाई जाएगी । इसके पश्चात यह सूची दर्शाए गए क्रेताओं के कर निर्धारण अधिकारियों को निम्न प्रारूप में प्रेषित की जाएगी ।

प्रारूप- आई.टी.सी.-1

माह का नाम ----------
संभाग का नाम ----------
टैक्स इन्वाइस प्रेषणकर्ता खण्ड ----------
टैक्स इन्वाइस प्राप्तकर्ता खण्ड----------
सूचना संख्या / वर्ष ----------

क्र0सं0	विक्रेता का नाम	विक्रेता का टिन नं0	वस्तु का नाम	बिल संख्या/ दिनांक	धनराशि	क्रेता का नाम	क्रेता का टिन नं0
1	2	3	4	5	6	7	8

mu

2- जिस पत्र के माध्यम से उपर्युक्त सूची प्रेषित की जाएगी उस पर यदि प्रथम बार ऐसी सूची संबंधित कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित की जा रही है तो उसपर सूचना सं0-1/2013-14 का अंकन किया जाएगा। यदि उसी कर निर्धारण अधिकारी को द्वितीय बार सूची प्रेषित की जा रही है तो उस पर सूचना सं0-2/2013-14 का अंकन किया जाएगा। इसी प्रकार यदि पांचवीं बार यह सूची प्रेषित की जा रही है तो ऐसे पत्र पर सूची सं0-5/2013-14 का उल्लेख किया जाएगा। इसका मूल उद्देश्य यह है कि यदि किसी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व प्रेषित कोई सूचना किन्हीं कारणों से Missing होती है, अर्थात ऐसे कर निर्धारण अधिकारी को प्राप्त नहीं होती है तो वह सूचना संख्या का परिशीलन करते हुए उसे प्राप्त न होने वाली सूची की माँग संबंधित प्रेषणकर्ता अधिकारी से कर सकता है।

3- प्रेषण कर्ता कार्यालय में प्रत्येक सूची के प्रेषण से संबंधित एक रजिस्टर का रखरखाव किया जाएगा जो निम्न प्रारूप में होगा -

प्रारूप-आई.टी.सी.-2

खण्ड का नाम ----------

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम जिसे सूची प्रेषित की गयी	पत्र सं0 व दिनांक जिससे सूची प्रेषित की गयी	रु0 एक लाख से अधिक के कालम -2 में वर्णित सूची में निहित बिलों की संख्या	कालम-2 में वर्णित कार्यालय को प्रेषित सूचना संख्या
1	2	3	4	5

4- उक्त सूचियों के प्राप्तकर्ता कार्यालय में निम्नानुसार प्राप्त सूचनाओं के संबंध में रजिस्टर का रखरखाव किया जाएगा -

प्रारूप-आई.टी.सी.-3

खण्ड का नाम ----------

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम जिससे सूची प्राप्त हुयी	पत्र सं0 व दिनांक जिससे सूची प्राप्त हुयी	रु0 एक लाख से अधिक के कालम -2 में वर्णित सूची में निहित बिलों की संख्या	कालम-2 में वर्णित कार्यालय से प्राप्त सूचना संख्या
1	2	3	4	5

5- प्राप्त एवं प्रेषण लिपिक के स्तर पर उक्त रजिस्टर का रखरखाव किया जाएगा। इसके बाद सूचनायें खण्डाधिकारी के निर्देशानुसार खातापालक द्वारा संबंधित व्यापारियों की पत्रावली पर रखते हुए इन्हें अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित कर

निर्धारण अधिकारी द्वारा संबंधित व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए एनेक्सजर-ए से इन सूचनाओं के मिलान की कार्यवाही की जाएगी तथा अनियमितता पाए जाने पर ऐसे प्रकरणों में आवश्यक विधिक कार्यवाही निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे ।खण्डाधिकारी द्वारा यह सूचना प्रत्येक माह संकलित करते हुए संलग्न प्रारूप-MPR 14 (S.I.B.) में अपने ज्वाइंट कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी । ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा यह सूचना प्रत्येक माह संकलित करते हुए प्रारूप-MPR 14 (S.I.B.) में ही जोनल एडीशनल कमिश्नर के कार्यालय में प्रेषित की जाएगी जहाँ से जोन की सूचना इसी प्रारूप-MPR 14 (S.I.B.) में प्रत्येक माह मुख्यालय के वि0अनु0शा0 अनुभाग को प्रेषित की जाएगी ।

6- सामान्यतया खण्ड में कार्यरत वाणिज्य कर अधिकारी उक्त सूचियों को संबंधित खण्डाधिकारी के निर्देशन में प्रत्येक माह तैयार करेंगे । जिन खण्डों में वाणिज्य कर अधिकारी नहीं हैं उनमें यह कार्य संबंधित असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा खण्डाधिकारी के निर्देशन में किया जाएगा । यह कार्य राजस्व हित में अत्यंत महत्वपूर्ण है , अत: इसे पूरी निष्ठा तथा रुचि लेकर किया जाए ।

7- जिस भी व्यापारी की पत्रावली से उक्तानुसार सूचनाओं का प्रेषण किया जाएगा उनके संबंध में सूचना प्रेषक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि रु0 एक लाख से अधिक के सभी बिलों के संबंध में सूचना प्रेषित की जाए और इसमें कोई Pick & choose न किया जाए ।

(ब) रु0 50 लाख से अधिक की टर्नोवर वाले व्यापारियों के इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों के संबंध में :

1- रु0 पचास लाख से अधिक की वार्षिक टर्नोवर वाले व्यापारियों द्वारा ई-रिटर्न प्रस्तुत किया जाता हैं जिनके द्वारा किए जा रहे आई0टी0सी0 के दावों का सत्यापन उनके रिटर्नों से परस्पर किया जा सकता है । इस संबंध में जाँच कार्यवाही का विवरण निम्न प्रारूप में संबंधित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा सम्भागीय ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) के समक्ष प्रत्येक माह प्रस्तुत किया जाएगा जो इसे संकलित कर इसी प्रारुप में जोनल एडीशनल कमिश्नर के समक्ष निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे ।

प्रारूप-आई.टी.सी.-4

माह का नाम ----------

खण्ड का नाम ---------- **(धनराशि लाख रु0 में)**

क्रम संख्या	व्यापारियों की संख्या जिनके संबंध में आई0टी0सी0 के दावों का सत्यापन किया गया	मामलों की संख्या जिनमें प्रतिकूलतायें प्रकाश में आयीं	मामलों की संख्या जिनमें कार्यवाही की गयी	कृत कार्यवाही का विवरण				कार्यवाही हेतु शेष विवरण
				आर0आई0टी0सी0 की राशि	अस्थाई कर निर्धारण द्वारा आरोपित करकी राशि	आरोपित अर्थदण्ड की राशि	कुल सृजित राजस्व	
1	2	3	4	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6

2- कारपारेट सर्किल में सभी व्यापारी ई-रिटर्न प्रस्तुत करते हैं । अत: कारपोरेट सर्किल के व्यापारियों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों के सत्यापन की कार्यवाही कारपोरेट सर्किल के ज्वाइंट कमिश्नर द्वारा ई-रिटर्नों के परस्पर परीक्षण के आधार पर की जाएगी तथा इस संबंध में सूचना निम्न प्रारूप में जोनल एडीशनल कमिश्नर को प्रत्येक माह प्रस्तुत की जाएगी -

प्रारूप-आई.टी.सी.-5

माह का नाम ----------

कारपोरेट सर्किल का नाम ---------- **(धनराशि लाख रु0 में)**

क्रम संख्या	व्यापारियों की संख्या जिनके संबंध में आई0टी0सी0 के दावों का सत्यापन किया गया	मामलों की संख्या जिनमें प्रतिकूलतायें प्रकाश में आयीं	मामलों की संख्या जिनमें कार्यवाही की गयी	कृत कार्यवाही का विवरण				कार्यवाही हेतु शेष विवरण
				आर0आई0टी0सी0 की राशि	अस्थाई कर निर्धारण द्वारा आरोपित करकी राशि	आरोपित अर्थदण्ड की राशि	कुल सृजित राजस्व	
1	2	3	4	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6

3- उपर्युक्त प्रकरणों की समीक्षा जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा अपने स्तर से की जाएगी । साथ ही माह में प्रकाश में लाए गए 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रकरणों से संबंधित तथ्य मुख्यालय को पृथक से प्रतिमाह निम्न प्रारूप में संसूचित किए जायेंगे ।

प्रारूप - MPR-14 (A) (S.I.B.)

माह का नाम ----------

जोन का नाम ---------- **(धनराशि लाख रु0 में)**

क्रम संख्या	व्यापारी नाम जिसके संबंध में आई0टी0सी0 का दावा त्रुटिपूर्ण पाया गया	कर निर्धारण अधिकारी का नाम	प्रकाश में लायी गयी त्रुटि का संक्षिप्त विवरण	कृत कार्यवाही का विवरण			
				आर0आई0टी0सी0 की राशि	अस्थाई कर निर्धारण द्वारा आरोपित कर की राशि	आरोपित अर्थदण्ड की राशि	कुल सृजित राजस्व
1	2	3	4	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

30.7.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

प्रारुप-MPR-14

SIB

रु0 50 लाख तक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के रु0 एक लाख व उससे अधिक विक्रय धनराशि के बिलों में निहित आई0टी0सी0 दावों के सत्यापन का प्रारुप

माह का नाम——

(धनराशि लाख रु0 में)

क्रम संख्या	जोन के अन्तर्गत सम्भाग व कारपोरेट सर्किल का नाम	माह के प्रारम्भ में कार्यवाही हेतु अवशेष त्रुटिपूर्ण बिलों से संबधित आई0टी0सी0 के प्रकरण	सत्यापन के लिये प्रेषित बिलों की संख्या		सत्यापन हेतु अन्य जोन से प्राप्त बिलों की संख्या		कालम 5 के सापेक्ष त्रुटिपूर्ण पाये गये बिलों की संख्या	माह में कार्यवाही हेतु त्रुटिपूर्ण बिलों की संख्या (3+8)	माह में की गयी कार्यवाही का विवरण (धनराशि लाख रु0 में)						माह तक कार्यवाही हेतु अवशेष बिलों की संख्या (9-10)	अन्य विवरण (यदि किसी विशिष्ट प्रकार का मामला प्रकाश में आया है तो उसके बिन्दु का संक्षिप्त विवरण)
			माह में	माह तक	माह में	माह तक			माह में त्रुटिपूर्ण बिलों के निस्तारण की संख्या	आई.टी.सी. रिवर्स की धनराशि	अस्थाई क0नि0 में आरोपित कर की धनराशि	आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि	कुल सृजित माँग	कालम 13 के सापेक्ष वसूल की गई धनराशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	सम्भाग-1															
2	सम्भाग-2															
3	सम्भाग-3															
	—															
4	कारपोरेट सर्किल -1															
5	कारपोरेट सर्किल -2															
	योग															